



राजस्थान - सरकार

न्यायालय उप जिला कलक्टर सैपऊ, जिला धौलपुर

धीठारसीन अधिकारी - दीपक सिंह खटाना (आर० ए० एस०)

प्रकरण संख्या: 09/2016

समैलादेवी पत्नी गिर्राजसिंह जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सैपऊ तहसील सैपऊ

वादिया

बनाम

- 1-विद्याराम पुत्र रामविलास जाति ब्राह्मण निवासी बिजलीघर के पास सैपऊ 2-ओमवती पत्नी विद्याराम जाति ब्राह्मण निवासी सैपऊ 3-संतोष 4-राजेश पुत्रगण रामविलास जाति ब्राह्मण निवासी बिजलीघर के पास सैपऊ 5-गुलाबसिंह पुत्र हरिसिंह जाति लोधा निवासी लकावली तहसील व जिला आगरा उ०प्र० 6-लक्ष्मीनारायण 7-राधेश्याम पुत्रगण ज्योतिप्रसाद निवासी ग्राम टहरी तहसील सैपऊ (विलोपित) 8-कंदार पुत्र ज्योतिप्रसाद निवासी टहरी 9-जगमोहन पुत्र दामोदर प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी सैपऊ 10-पंजाब नेशनल बैंक भाखा सैपऊ जरिये शाखा प्रबन्धक 11-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ 12-सीमादेवी पत्नी अर्जुनसिंह 13-वीनूदेवी पत्नी दीपक जातिगण ठाकुर निवासीगण ग्राम सैपऊ जिला धौलपुर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,
188 व 53 आर.टी.एक्ट



- उपस्थिति - 1-श्री दिनेश कुमार एडवोकेट.....(वादिया)
2-श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट(प्रतिवादी संख्या 1,3,4)
3-श्री हजरत खॉन एडवोकेट..... (प्रतिवादी संख्या 8)
4-श्री सुनील परमार एडवोकेट(प्रतिवादी संख्या 12, 13)

निर्णय

दिनांक 22.09.2022

संक्षिप्त में उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में वास्ते बटवारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 1861, 1863, 1874, 1877, 1878, 2191, 1884, 2192, 2198, 2199, 2200 स्थित वाके ग्राम सैपऊ नम्बर-1 तहसील सैपऊ का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। गुणावगुण के आधार पर दावा दिनांक 20.07.2022 को दावा वादिया विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रारंभिक रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात का वादिया एवं प्रतिवादीगण के मध्य उनके रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कर तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिये गये कि वह अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

के पक्षकारों के रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सों के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर
 तहसीलदार सैपऊ द्वारा अपने पत्रांक:राजसव/2022/528 दिनांक 17.08.2022
 विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये। विद्वान वादिया एवं प्रतिवादीगण अभिभाषक को
 भिजवाया गया तथा विद्वान वादिया एवं प्रतिवादीगण अभिभाषक द्वारा मुताबिक विभाजन
 प्रस्ताव दावा अन्तिम डिक्री करने का निवेदन किया। तहसीलदार सैपऊ से प्राप्त
 विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार
 सैपऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही है। तहसीलदार
 द्वारा विभाजित खसरा नम्बरों के वावत् प्रस्तावित तरमीम नक्शा भी प्रेषित किया है।
 ऐसी स्थिति में दावा वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री करना
 उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री
 किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित वाकेग्राम सैपऊ नम्बर-1 तहसील सैपऊ
 के बाबत् पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :-

1-उर्मिला देवी पत्नी गिराजसिंह हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण सा0 देह व केदार पुत्र
 जोतीराम हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण सा0 टहरी खातेदार।

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
	1861	0.4173	नहरी अलिफ
	1863	0.1012	नहरी अलिफ
	1874	0.4552	नहरी अलिफ
	2199/1	0.1813	नहरी अलिफ (उ0दिशा)
	2200/1	0.1939	नहरी अलिफ (उ0दिशा)

योग किता- 5 रकवा-1.3489 हैक्टेयर

2-बीनूदेवी पत्नी दीपक हिस्सा 1/2 व सीमादेवी पत्नी अर्जुनसिंह हिस्सा 1/2 जाति
 ठाकुर सा0 देह खातेदार।

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1.	1877	0.4173	नहरी अलिफ
2.	1878	0.5564	नहरी अलिफ
3.	1884	0.6323	नहरी अलिफ

योग किता- 3 रकवा-1.6060 हैक्टेयर

3-राजेश कुमार पुत्र रामविलास हिस्सा 81/130 राहिन बी.आर.के.जी.बी शाखा सैपऊ
 व सन्तोषकुमार पुत्र रामविलास हिस्सा 49/130 जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार।

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1.	2191	0.3035	नहरी अलिफ
2.	2192	0.2655	नहरी अलिफ
3.	2198	0.4426	नहरी अलिफ

उपखण्ड अधिकारी
 सैपऊ

2199/2

0.0337

नहरी अलिफ (द०दिशा)

2200/2

0.0337


नहरी अलिफ (द०दिशा)

किता- 5

रकवा-1.0790 हैक्टेयर

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक-पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरान की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे एवं उभपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वह एक-दूसरे के हिस्से में आयी आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 22.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।


22.9.22
उप जिला कलक्टर
सैपळ





राजस्थान-सरकार

डिगरी व मुकदमे ईक्टदाई

अदालत - उप जिला कलक्टर सैपऊ
इजलास - दीपक सिंह खटाना (आर० ए० एस०)
प्रकरण संख्या: 09/2016

उर्मिलादेवी पत्नी गिराजसिंह जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सैपऊ तहसील सैपऊ

.....वादिया

बनाम

- 1-विद्याराम पुत्र रामविलास जाति ब्राह्मण निवासी बिजलीघर के पास सैपऊ
- 2-ओमवती पत्नी विद्याराम जाति ब्राह्मण निवासी सैपऊ
- 3-संतोष
- 4-राजेश पुत्रगण रामविलास जाति ब्राह्मण निवासी बिजलीघर के पास सैपऊ
- 5-गुलाबसिंह पुत्र हरिसिंह जाति लोधा निवासी लकावली तहसील व जिला आगरा उ०प्र०
- 6-लक्ष्मीनारायण
- 7-राधेश्याम पुत्रगण ज्योतिप्रसाद निवासी ग्राम टहरी तहसील सैपऊ (विलोपित)
- 8-केदार पुत्र ज्योतिप्रसाद निवासी टहरी
- 9-जगमोहन पुत्र दामोदर प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी सैपऊ
- 10-पंजाब नेशनल बैंक शाखा सैपऊ जरिये शाखा प्रबन्धक
- 11-राजस्थान सरकार जरिये, तहसीलदार सैपऊ
- 12-सीमादेवी पत्नी अर्जुनसिंह
- 13-वीनूदेवी पत्नी दीपक जातिगण ठाकुर निवासीगण ग्राम सैपऊ जिला धौलपुर

..... प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,
188 व 53 आर.टी.एक्ट

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ दीपक सिंह खटाना (आर.ए.एस.) व हजरी मिनजानिव मुद्दई श्री दिनेश कुमार एडवोकेट एवं मिनजानिव मुद्दायलह श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट (प्रतिवादी संख्या 1,3,4), श्री हजरत खॉन एडवोकेट (प्रतिवादी संख्या 8), श्री सुनील परमार एडवोकेट (प्रतिवादी संख्या 12, 13) को पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है एवं दावा मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित वाकेग्राम सैपऊ पटवार हल्का सैपऊ नम्बर-1 तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :-

1-उर्मिला देवी पत्नी गिराजसिंह हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण सा० देह व केदार पुत्र जोतीराम हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण सा० टहरी खातेदार।

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा	किस्म
1.	1861	0.4173	नहरी अलिफ
2.	1863	0.1012	नहरी अलिफ
3.	1874	0.4552	नहरी अलिफ
4.	2199/1	0.1813	नहरी अलिफ (उ०दिशा)
5.	2200/1	0.1939	नहरी अलिफ (उ०दिशा)

योग किता- 5 रकवा-1.3489 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

सीमादेवी पत्नी दीपक हिस्सा 1/2 व सीमादेवी पत्नी अर्जुनसिंह हिस्सा 1/2 जाति ठाकुर देह खातेदार।

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा	किस्म
1.	1877	0.4173	नहरी अलिफ
2.	1878	0.5564	नहरी अलिफ
3.	1884	0.6323	नहरी अलिफ

योग किता- 3 रकवा-1.6060 हैक्टेयर

3-राजेश कुमार पुत्र रामविलास हिस्सा 81/130 राहिन बी.आर.के.जी.बी शाखा सैपऊ व सन्तोषकुमार पुत्र रामविलास हिस्सा 49/130 जाति ब्राह्मण सा० देह खातेदार।

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा	किस्म
1.	2191	0.3035	नहरी अलिफ
2.	2192	0.2655	नहरी अलिफ
3.	2198	0.4426	नहरी अलिफ
4.	2199/2	0.0337	नहरी अलिफ (द०दिशा)
5.	2200/2	0.0337	नहरी अलिफ (द०दिशा)

योग किता- 5 रकवा-1.0790 हैक्टेयर

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक-पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरान की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे एवं उभयपक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है कि वह एक-दूसरे के हिस्से में आयी आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्तदफा दाखिल दफ्तर हो।

* वशव्द मेरे एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 22.09.2022 को जारी की गई।

(दीपक सिंह खटाना)

उप जिला कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ